मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

अध्यक्ष, म.प्र. ग्रामीण विद्युत कर्मचारी यूनियन,
बण्डा (बेलई) जिला – सागर (म.प्र.) – **आवेदक**

विरूद्ध

म.प्र. राज्य विद्युत मंडल,
शक्ति भवन, विद्युत नगर,
जबलपुर (म.प्र.)

– अनावेदक

: आदेश :

(दिनाँक 09 अगस्त, 2005 को पारित)

विषय : ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, बण्डा (बेलई) जिला सागर के कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित करने के संबंध में ।

याचिकाकर्ता की ओर से – श्री लक्ष्मीप्रसाद जोगी, अध्यक्ष कर्मचारी यूनियन बण्डा स्वयं उपस्थित ।

अनावेदक की ओर से – श्री ए.के. कुलश्रेष्ठ, एडीशनल एस.ई. जबलपुर, श्री आर. एस. जैसवाल, सीनीयर एडवोकेट, जबलपुर एवं श्री वी.एस. त्रिपाठी, एस.ई (ओ एण्ड एम) एवं लिक्विडेटर, विद्युत मण्डल, सागर उपस्थित ।

ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, बण्डा (बेलई) जिला सागर के कर्मचारियों द्वारा अन्य समितियों के कर्मचारियों के समान पुनरीक्षित वेतनमान व अन्य सुविधा देने के संबंध में यह याचिका आयोग के समक्ष दिनांक 8.7.2005 को प्रस्तुत की गई ।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह बतलाया गया है कि कुछ ग्रामीण विद्युत कर्मचारियों का वेतनमान संशोधित किया जा चुका है, जबकि बण्डा समिति के कर्मचारियों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है । अतः आवेदक द्वारा मांग की गई है कि अन्य समितियों के कर्मचारियों के समान ही वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं उन्हें भी दी जाने हेतु अनावेदकगण को निर्देशित किया जावे ।

3. पंजीयक सहकारी समितियों द्वारा प्रदेश के अन्य विद्युत समितियों के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान संशोधित कर वर्ष 1994 का वेतनमान मण्डल द्वारा वर्तमान में दिया जा रहा है किन्तु विद्युत समिति, बण्डा के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन के लाभ से वंचित रखा गया है, जो भेदभाव पूर्ण हैं । म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2745

दिनांक 17.05.2005 में यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति बण्डा के कर्मचारियों का मण्डल में संविलियन आयोग के आदेशानुसार संविलियन के समय परिसमापित संस्था में प्राप्त वेतनमान व सेवा शर्तों पर हुआ है । अतः इन सेवा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन का निर्णय मण्डल द्वारा नहीं लिया जा सकता है । इस कारण याचिकाकर्ता ने मण्डल को पुनरीक्षित वेतनमान देने हेतु स्पष्ट निर्देश देने हेतु निवेदन किया।

4. इस संबंध में अनावेदक मण्डल की ओर से जवाब में बतलाया गया कि आयोग के आदेश दिनांक 20.2.02 में यह निर्देश दिया था कि समिति के कर्मचारियों के विद्यमान वेतनमान पर मण्डल की सेवा में लेने हेतु मण्डल आवश्यक स्क्रीनिंग की कार्यवाही करें तद्नुसार समिति के कर्मचारियों को विद्यमान वेतनमान पर संविलियन की कार्यवाही मण्डल द्वारा की जा चुकी है । साथ ही मण्डल द्वारा अपने उत्तर में यह भी बताया गया है कि समितियों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक आदेश पंजीयक सहकारी समिति द्वारा जारी किया जाना है और कर्मचारियों को समिति में देय सेवा शर्तों पर ही कार्य करने की पात्रता है, अतः यह याचिका समाप्त की जानी चाहिये ।

5. रजिस्ट्रार विद्युत मण्डल, सागर द्वारा बताया गया कि संस्था के परिसामापन में होने के कारण वेतन पुनरीक्षण को निर्णय पंजीयक स्तर पर लिया जाना अब नियमानुकूल नहीं है । परिसमापित संस्था के कर्मचारियों का मण्डल में किये गये संविलियन की शर्तों में परिवर्तन कर वेतनमान पुनरीक्षण तथा स्थापनागत सुविधायें आदि प्रदाय करने संबंधी निर्णय पंजीयक स्तर से लेने से जो अतिरिक्त वित्तीय भार मण्डल को वहन करना पड़ेगा, उसके संबंध में विद्युत मण्डल की सहमति आवश्यक है । साथ ही रजिस्ट्रार की ओर से जवाब में यह भी बताया गया है कि जहां तक अभ्यावेदन में उल्लेखित विद्युत समितियों मण्डला, नौगांव, पंधाना, मनावर, मनासा तथा मुलताई के कर्मचारियों को इस कार्यालय द्वारा वर्ष 1999 से वर्ष 2001 के मध्य समय–समय पर किये गये वेतनमान पुनरीक्षण का प्रश्न है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त सभी समितियां उस समय क्रियाशील थी । विद्युत समिति बण्डा द्वारा पूर्व में वेतनमान पुनरीक्षण हेतु इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये गये थे किन्तु संस्था से समुचित प्रस्ताव/ठहराव तथा संस्था के परिसमापन में आने के पूर्व, प्रकरण में निर्णय नहीं लिया जा सका ।

6. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर रजिस्ट्रार की ओर से जवाब में यह भी किया गया कि इन कर्मचारियों का विद्युत मण्डल में संविलियन विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार उन्हें संविलियन के समय परिसमापित संस्था में प्राप्त हो रही सेवा शर्तों पर

ही हुआ है इन सेवा शर्तों में परिवतर्न (वेतन पुनरीक्षण तथा अन्य स्थापनागत सुविधायें सम्मिलित हैं) के संबंध में वर्तमान में म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है ।

7. आज आयोग द्वारा दोनों पक्षों को श्रवण किया । वेतनमान को पुनरीक्षित करने के संबंध में निर्देश देना आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है । इस संबंध में समुचित निर्णय का अधिकार मण्डल/संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी का है । रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा भी अपने उत्तर में यह स्पष्ट किया गया है कि वेतनमान पुनरीक्षण के कारण वित्तीय भार का आकलन कर इस पर निर्णय लेने हेतु मण्डल को कहा गया है । किन्तु आयोग द्वारा प्रदेश की दस ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों का विद्युत वितरण संबंधी लायसेंस निरस्त कर उनका कार्य म.प्र. विद्युत मण्डल को सौंपने संबधी आयोग की याचिका क्रमांक 47/2001 में आदेश दिनांक 20.1.2002 के संबंध में यह स्पष्ट करना चाहता है कि इस आदेश में उन समितियों के कर्मचारियों को विद्यमान वेतनमान एवं सेवा शर्तों पर स्क्रीनिंग द्वारा मण्डल में लेने का आदेश दिया गया था, ताकि उक्त समितियों के क्षेत्र में विद्युत प्रदाय व्यवस्था प्रभावित नहीं हो सके । समितियों के लायसेंस निरस्त करने की स्थिति में तत्कालिक रूप से विद्युत प्रदाय व्यवस्था करना आवश्यक था । साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि भविष्य में ऐसे संविलियीत कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा । जैसा कि ऊपर बतलाया गया है कि ऐसे कर्मचारियों का वेतनमान संशोधित करने की मांग पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार विद्युत मण्डल/संबंधित क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनी का है । सारांशतः ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति बण्डा एवं आदेश दिनांक 20.2.2002 में सम्मिलित अन्य विद्युत सहकारी समितियों के संविलियित कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण पर अनावेदकगण द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाता है तो इसमें आयोग को कोई आपत्ति नहीं है । मण्डल/संबंधित कम्पनी इस संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है ।

8. उक्त क्लेरिफिकेशन के साथ यह याचिका समाप्त की जाती है ।

उपरोक्तानुसार आदेश पारित ।

(आर. नटराजन)	(डी. रायबर्धन)	(पी.के. मेहरोत्रा)
सदस्य (इकॉनामिक)	सदस्य (अभि.)	अध्यक्ष.